फर्द अहकाम

रामकरण बनाम जगदीश व अन्य

प्रार्थना पत्रः 465/2025

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	14.07.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1, 3, 5, 7, 8 उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 3, 5, 7, 8 की ओर से अधिवक्ता श्री रामवतार एवं किर्ती चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। शा.मि.हो। अप्रार्थी संख्या 2, 4, 6, 9, 10 बावजूद डॉक रजिस्टर्ड सूचना उपस्थिति नही दिनाक 14.07.2025 को अप्रार्थी संख्या 2, 4, 6, 9, 10 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश दिये गये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1, 3, 5, 7, 8 की बहस सूनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम बडी का खेडा, पटवार हल्का दहमीकला, भू.अभि.नि.क्षे. ठीकरिया तहसील सांगानेर जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खाता संख्या 267 के खसरा नम्बर 1018/22 रकबा 1.6275 है0, है उक्त आराजी के लगवा खाता संख्या 115 ख0सं0 21 रकबा 0.2300 है0 गै.मु.रा. एवं ख0 नं0 1016/22 रकबा 0.8138 है0 में से 1018/22 रकबा 1.6275 है0 का सीमाज्ञान उपतहसीलदार बगरू के आदेश क्रमांकःएल0आर0/ 2024/625 दिनांक 29.04.2024 की पालना में दिनांक 21.06.2024 को उपस्थित खातेदारो के समक्ष ख0स0 4 से जरीब चलाकर ख0सं0 1015/22 को मुस्तकिल बिन्दु मानते हुए ख0न0 1018/22 की सीमाये कायम कर सीमाज्ञान करवाया गया। सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी वकील ने जवाब में वाद को खारिज किये जाने का निवेदन किया। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.06.2024 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। इस बाबत् भविष्य में पडौसी काश्तकारो में किसी प्रकार की प्रकार विवाद नही हो इसलिए सीमाज्ञान करवाया जाना है ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि वाके ग्राम बडी का खेडा, पटवार हल्का दहमीकला, भू.अभि.नि.क्षे. ठीकरिया तहसील सांगानेर जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खाता संख्या 267 के खसरा नम्बर 1018/22 रकबा 1.6275 है0, का सीमाज्ञान फर्द मौका-रिपोर्ट आदेश दिनांक 21.06.2024 के अनुसार उभयपक्षो की उपस्थिति में पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	